छात्र प्रोफाइल (Profiling)

हमारी शिक्षा प्रणाली में परीक्षाओं के प्राप्तांकों पर छात्र-छात्राओं की सफलता-असफलता का मूल्यांकन होता है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा में काफी सुधार हुए हैं लेकिन माध्यमिक शिक्षा पद्धति में लार्ड मैकाले का ही अनुसरण हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिये हो और यदि उसमें कोई दोष हो या अकादमिक रूप से मंद हो अथवा शिक्षणेत्तर गतिविधियों में उसकी रुचि न हो तो प्रस्तुत नवाचार के माध्यम से छात्र-छात्रा का समग्र विकास हो सकता है। प्रलेखन एक ऐसी पद्धति है, जो हर छात्र को अपनी कमी सुधारने और पिछड़ जाने पर अन्य छात्रों के बराबर तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है। यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि ये नवाचार शिक्षा विज्ञान का बीज मंत्र है।

नवाचारक

परम सिंह, श्रीमती सुखदेवी इं. का. हसनपुर, अमरोहा

नवाचार के क्षेत्र

उपस्थिति, अनुशासन, अभिभावक सहयोग एवं शैक्षिक व शिक्षणोत्तर क्रियाकलापों की गुणवत्ता में सुधार।

किन विद्यालयों में उपयुक्त है : प्रत्येक विद्यालय में लागू किया जा सकता है।

नवाचार का सार

विद्यालयी शिक्षा में शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर क्रिया-कलापों का बहुत महत्व है। अतः इन क्रियाओं के सूक्ष्म स्तर तक पहुंचकर इन्हें छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार सरल, सुगम व ग्राह्य बनाना, जिससे कि समस्त छात्र लाभान्वित हों और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी रुचि के क्षेत्र में विद्यालय के सहयोग से आगे बढ़ सकें।

क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सामग्री व लगने वाला समय : चार्ट, दफ्ती, गोंद, स्केच पेन, पेन, पेंसिल, कटर, इरेजर, पटरी इत्यादि।

क्रियान्वयन में लगने वाला समय : मात्र एक दिन।

क्रियान्वयन : यह प्रक्रिया सतत चलने वाली है। इसमें छात्रों के रुचि व अधिमग स्तर का जैसे-जैसे स्तरांकन ज्ञात होता जाये, वैसे-वैसे ही अपनी छात्रवार पाठ योजना/क्रिया-कलापों में आवश्यकतानुसार विद्यालय द्वारा संशोधन/परिवर्तन कर लिया जाना चाहिए।

चरण : छात्रों का शैक्षिक स्तर पर विकास और उनकी उन्नति के लिये 'संकल्प' नामक कार्यक्रम लागू किया जा सकता है, जिसका विस्तार 'कसौटी', 'दर्पण' एवं 'प्रवाह' के रूप में विद्यालय में संचालित करने से छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का विकास संभव है। प्रत्येक छात्र पर विद्यालय द्वारा किये गये प्रयासों एवं उनके परिणामों का मूल्यांकन 'कसौटी' नामक प्रपत्र द्वारा किया जा सकता है। विद्यालय में 'कसौटी' को लागू करने के परिणाम स्वरूप विद्यालय के परीक्षाफल, उपस्थिति और अनुशासन के स्तर में सुधार लाया जा सकता है। छात्रों की क्रीड़ा, साहित्यिक, सांस्कृतिक व अन्य प्रतियोगिताओं में प्रदेश स्तर तक प्रतिभागिता बढ़ती है और छात्रों के माता-पिता भी उनकी प्रगति जानने के लिये अभिभावक दिवस पर विद्यालय में आने लगते हैं। छात्रों के आत्मविश्वास में आशातीत वृद्धि भी देखी जा सकती है।

कसौटी (कक्षा–)

(सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रपत्र– कक्षा 6 से 8, शिक्षण सत्र– 20.....– 20.....)

अनुक्रमांक..... छात्र पंजिका सं0..... जन्म तिथि.....

नाम–विद्यार्थी–..... माता– श्रीमती ..... पिता– श्री .....

(क) परीक्षाफल–.....पूर्णांक–50 प्राप्तांक– प्रतिशत/2= लब्धांक .....

क्र0सं0	विषय	मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांक					04सर्वश्रेष्ठ मा0प0 के प्राप्तांकों का योग 100	वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक 100	योग 200	कृपांक
		प्रथम 25	द्वितीय 25	तृतीय 25	चतुर्थ 25	पंचम 25				
01–	हिन्दी									
02–	अंग्रेजी									
03–	संस्कृत/उर्दू									
04–	गणित									
05–	विज्ञान									
06–	सा0विषय									
07–	कला/वाणिज्य									
08–	कम्प्यूटर									
	योग									
	पर्यावरण, खेल एवं नैतिक शिक्षा									
कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर										
निरीक्षक के हस्ताक्षर										
अभिभावक के हस्ताक्षर										

नियम 1–प्राप्तांक प्रतिशत को दो से भाग देकर दशमलव के दो स्थान तक जो भागफल प्राप्त होगा खण्ड 'क' में वही लब्धांक अंकित किये जायेंगे।

(ख) क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग– पूर्णांक–10 लब्धांक–

प्रतियोगिता का स्तर	प्राप्तांक तालिका		
	प्रतिभाग	द्वितीय स्थान	प्रथम स्थान
विद्यालय	1	2	3
ज़िला	2	3	4
मण्डल	5	6	7
प्रदेश	8	9	10

नोटः– राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने अथवा पदक प्राप्त करने पर अलग से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जायेगा।

नियम 2– खण्ड ख के अन्तर्गत अलग–अलग स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्राप्त लब्धांकों को जोड़ा नहीं जायेगा बल्कि उनमें से सर्वाधिक अंकों को ही इस खण्ड का लब्धांक अंकित किया जायेगा।

(ग) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग— पूर्णांक—10 लब्धांक—

प्रतियोगिता का स्तर	प्राप्तांक तालिका		
	प्रतिभाग	द्वितीय स्थान	प्रथम स्थान
विद्यालय	1	1	1
जिला	2	3	4
मण्डल	5	6	7
प्रदेश	8	9	10

नियम 3— खण्ड ग में नियम 2 के अनुरूप ही लब्धांक अंकित किये जायेंगे।

(घ) उपस्थिति उपस्थिति प्रतिशत × 1/10 = लब्धांक

नियम 4 (i)— कक्षाध्यापक द्वारा प्रतिमाह अभिभावकों या विद्यार्थियों को उनकी मासिक उपस्थिति एवं अनुपस्थिति से अवगत कराया जायेगा।

(ङ) विद्यालय गणवेश— (अंक कटौती का प्रारूप) पूर्णांक—5 अंक लब्धांक—

दिनांक	गणवेश में न होने का विवरण	अंक कटौती	छात्र हस्ताक्षर	कक्षाध्यापक ह0

नियम 5— विद्यालय गणवेश में न आने पर कक्षाध्यापक द्वारा प्रतिदिन ½ अंक की कटौती की जायेगी और गणवेश में शून्य अंक हो जाने पर कक्षाध्यापक छात्र को प्रधानाचार्य के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करेंगें।

(च) अनुशासन व आचरण (अंक कटौती का प्रारूप) — पूर्णांक 05 अंक लब्धांक—

दिनांक	अनुशासनहीनता का विवरण	अंक कटौती	छात्र ह0	अभिभावक ह0	कक्षाध्यापक ह0	मुख्यनियंता ह0

नियम 6 (i)— एक बार की गई अनुशासनहीनता के लिए कक्षाध्यापक को 1 अंक, मुख्य नियन्ता को 2 अंक कटौती करने का अधिकार होगा। यदि अनुशानहीनता गम्भीर प्रकृति की हो तो प्रकरण संस्तुति सहित प्रधानाचार्य के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(ii) कक्षाध्यापक द्वारा अनुशासन व आचरण के अंक न देने पर कारणों सहित बिन्दुवार आख्या प्राप्त कराई जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

(छ) व्यक्तिगत सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य— पूर्णांक 05 अंक लब्धांक—

दिनांक	सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य का विवरण	अंक	ह.छात्र	ह.कक्षाध्यापक	ह.ज्येष्ठतम अध्यापक

नियम 7—प्रत्येक सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य के लिए कम से कम एक अंक व अधिकतम 05 अंक प्रदत्त किये जायेंगे। कार्य का मूल्यांकन कक्षाध्यापक द्वारा किया जायेगा। एक कार्य पर एक अंक से अधिक अनुदानित करने के लिए विद्यालय के ज्येष्ठतम् अध्यापक का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ज) माता—पिता का अभिभावक दिवस पर सम्पर्क— पूर्णांक 05 अंक लब्धांक—

सम्पर्क तिथि	सम्पर्क कर्ता का नाम एवं छात्र से सम्बन्ध	शिकायत / सुझाव / टिप्पणी	हस्ताक्षर

नियम 8—खण्ड ज के अन्तर्गत वास्तविक अभिभावक, जिनका विवरण प्रवेश फार्म में अंकित है, के द्वारा केवल अभिभावक दिवस (माह के अन्तिम कार्य दिवस को मध्यान्तर के बाद) पर कक्षाध्यापक आदि से सम्पर्क करने पर 1 अंक प्रति सम्पर्क की दर से प्रदान किये जायेंगे।

(झ) बोनस/ऋणात्मक अंक (अधिकतम 5 अंक)

बोनस अंक हेतु कार्य का विवरण	अंक	ऋणात्मक अंक का कारण	अंक

नियम 9(i) प्रार्थना स्थल की गतिविधियों, कक्षानुशासन में सहयोग, राष्ट्रीय पर्वों, विशेष समारोह/ आयोजन में सहयोग/ प्रतिभाग, छात्र संसद, एन.सी.सी., स्काउट में प्रतिभाग करने पर सम्बन्धित प्रभारी/कक्षाध्यापक द्वारा बोनस अंक प्रदान किये जायेंगे।

(ii) नाम प्रथक होने अथवा छात्र की शिकायत के सम्बन्ध में नोटिस जारी होने पर कक्षाध्यापक द्वारा हर बार एक अंक

ऋणात्मक किया जायेगा।
(iii) बोनस अंक अनुदानित करने पर भी प्राप्तांक 100 से अधिक न हो, यह कक्षाध्यापक द्वारा ध्यान रखा जायेगा।

महायोग–	अपनी कक्षा व खण्ड में स्थान–

नियम 10– सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को **Student of the Year** का पुरस्कार/सम्मान दिया जायेगा। द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः **1st runner up** एवं **2nd runner up** का पुरस्कार दिया जायेगा तथा इनके बाद मेरिट में आने वाले अधिकतम 25 विद्यार्थियों को सॉत्वना पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। बोर्ड परीक्षाओं में जनपद, मण्डल या प्रदेशस्तर पर स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को अलग से पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा।
नियम 11– छात्र/छात्राओं को पुरस्कार/ सम्मान तथा इस हेतु आयोजन के लिए समस्त व्यवस्था पी.टी.ए. द्वारा की जायेंगी।
लक्ष्य– पुरस्कार/सम्मान प्राप्त करने से भी बडी उपलब्धि उन विद्यार्थियो की होगी जो अपनी रूचि एवं क्षमता के अनुसार अपना **Career** बनाने अथवा अपने जीवन के लक्ष्य **[Ultimate Goal]** को प्राप्त करने हेतु अपनी योजना का प्रयोग कर पाते है। चूँकि **Student of the Year** कोई एक हो सकता है, परन्तु लक्ष्य की प्राप्ति सभी कर सकते हैं।

अभिभावक का सुझाव–

ह.कक्षाध्यापक ह.निरीक्षणकर्ता ह.परीक्षा प्रभारी प्रधानाचार्य

छात्र की आवश्यक जानकारी लिखने के पश्चात परीक्षाफल [भाग (क)] में छात्र के मासिक परिक्षाओं के प्राप्तांक, विषयानुसार, अर्जित कर दिये जाते हैं। परन्तु इस भाग में विशेष बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्राप्तांक को 2 से भाग देकर ही लिखें, बाकी के 50 प्रतिशत अंक आगे के भागों में वितरित कर दिये जायेगें।

कसौटी (कक्षा–)

(सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रपत्र– कक्षा 6 से 8, शिक्षण सत्र– 20.....– 20.....)

अनुक्रमांक..... छात्र पंजिका सं0..... जन्म तिथि.....

नाम–विद्यार्थी–..... माता– श्रीमती ..... पिता– श्री .....

(क) परीक्षाफल–.....पूर्णांक–50 प्राप्तांक– प्रतिशत/2= लब्धांक .....

क्र0सं0	विषय	मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांक					04सर्वश्रेष्ठ मा0प0 के प्राप्तांकों का योग 100	वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक 100	योग 200	कृपांक
		प्रथम 25	द्वितीय 25	तृतीय 25	चतुर्थ 25	पंचम 25				
01–	हिन्दी									
02–	अंग्रेजी									
03–	संस्कृत/उर्दू									
04–	गणित									
05–	विज्ञान									
06–	सा0विषय									
07–	कला/वाणिज्य									
08–	कम्प्यूटर									
	योग									
	पर्यावरण, खेल एवं नैतिक शिक्षा									
कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर										
निरीक्षक के हस्ताक्षर										
अभिभावक के हस्ताक्षर										

नियम 1–प्राप्तांक प्रतिशत को दो से भाग देकर दशमलव के दो स्थान तक जो भागफल प्राप्त होगा खण्ड 'क' में वही लब्धांक अंकित किये जायेंगे।

क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभाग [भाग (ख)]-इस भाग में छात्रों के क्रीड़ा में प्राप्तांक अंकित किये जाते हैं, जिनसे छात्रों को फिजिकल एक्टिविटीज करने का प्रोत्साहन मिलता है। नियम प्रारूप में दिये गये हैं।

(ख) क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग– **पूर्णांक–10** **लब्धांक–**

प्रतियोगिता का स्तर	प्राप्तांक तालिका		
	प्रतिभाग	द्वितीय स्थान	प्रथम स्थान
विद्यालय	1	2	3
ज़िला	2	3	4
मण्डल	5	6	7
प्रदेश	8	9	10

नोटः– राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने अथवा पदक प्राप्त करने पर अलग से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जायेगा।

नियम 2– खण्ड ख के अन्तर्गत अलग–अलग स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्राप्त लब्धांकों को जोड़ा नहीं जायेगा बल्कि उनमें से सर्वाधिक अंकों को ही इस खण्ड का लब्धांक अंकित किया जायेगा।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग [भाग (ग)] में छात्रों के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अंक अर्जित करते हैं जिससे उनमें अपने अन्दर की प्रतिभा को दर्शाने का मौका मिलता है।

(ग) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग– **पूर्णांक–10** **लब्धांक–**

प्रतियोगिता का स्तर	प्राप्तांक तालिका		
	प्रतिभाग	द्वितीय स्थान	प्रथम स्थान
विद्यालय	1	2	3
जिला	2	3	4
मण्डल	5	6	7
प्रदेश	8	9	10

नियम 3– खण्ड ग में नियम 2 के अनुरूप ही लब्धांक अंकित किये जायेंगे।

यदि उपरोक्त में छात्रों के कम अंक हैं तो उसे अधिक भागीदारी के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

'राउण्ड द क्लास' कार्यक्रम में एक कक्षा व खण्ड के छात्रों को एक दिन विद्यालय की गतिविधियों के संचालन का अवसर क्रमवार दिया जाता है। इसके अन्तर्गत एक छात्र सुविचार लेखन का कार्य, 5 छात्र प्रार्थना एवं 5 छात्र राष्ट्रगान वादन यन्त्रों के साथ कराते हैं। उसी कक्षा का एक छात्र 'मुझे भी कुछ कहना है' शीर्षक के अन्तर्गत प्रार्थना स्थल पर ही मंच से अपने भावों को व्यक्त करता है, इसके लिये 5 मिनट निर्धारित होते हैं।

यह छात्रों को एक ऐसा मंच देता है, जहां वह अपने आपको व्यक्त कर सकते हैं और उनका स्टेज फियर कम होता है। यह एक अनिवार्य क्रिया है जो प्रत्येक छात्र को करनी है।

इस नवाचार से छात्रों में मंच से बोलने की कला का विकास अत्यन्त स्वाभाविक एवं उत्साहित तरीके से हो रहा है। सभी कक्षाओं के छात्रों में मंच से बोलने की झिझक दूर करने एवं प्रार्थना-स्थल की गतिविधियों से सीखने का उत्साह बढ़ा है।

उपस्थिति [भाग (घ)] में छात्रों को उनकी विद्यालय में उपस्थिति के अनुसार अंक दिये जाते हैं।

(घ) उपस्थिति **उपस्थिति प्रतिशत × 1/10 = लब्धांक**

नियम 4 (i)– कक्षाध्यापक द्वारा प्रतिमाह अभिभावकों या विद्यार्थियों को उनकी मासिक उपस्थिति एवं अनुपस्थिति से अवगत कराया जायेगा।

उपस्थिति दर को बढ़ाने के लिये एक प्रभावशाली प्रक्रिया का सृजन किया गया है, जिसमें छात्रों की संख्या के अनुसार ग्रुप बना दिये जाते हैं तथा उस ग्रुप का एक लीडर नियुक्त किया जाता है, जो स्वयं तो समय पर विद्यालय आता है और अपने ग्रुप के अन्य छात्रों को भी उपस्थिति के लिये प्रेरित करता है एवं यदि उसके ग्रुप का कोई छात्र अनुपस्थित है तो उसका कारण भी पता रखता है। इस प्रक्रिया से छात्रों की उपस्थिति दर में सुधार होता है एवं अध्यापक को उनकी अनुपस्थिति का कारण भी पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त उपस्थिति लेने में भी कम समय लगता है।

विद्यालय गणवेश [भाग (ड़)]-इस भाग में छात्रों को पहले से ही 5 अंक प्रदान कर दिये जाते हैं। जो भी छात्र किसी भी दिन अपने पूरे गणवेश में नहीं आयेगा उसका 1/2 अंक काट दिया जायेगा। अपने अंको को बचाये रखने के लिए छात्र हमेशा पूरे गणवेश में आने का प्रयास करेगें।

(ङ) विद्यालय गणवेश– (अंक कटौती का प्रारूप) पूर्णांक–5 अंक लब्धांक–

दिनांक	गणवेश में न होने का विवरण	अंक कटौती	छात्र हस्ताक्षर	कक्षाध्यापक ह0

नियम 5– विद्यालय गणवेश में न आने पर कक्षाध्यापक द्वारा प्रतिदिन ½ अंक की कटौती की जायेगी और गणवेश में शून्य अंक हो जाने पर कक्षाध्यापक छात्र को प्रधानाचार्य के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करेंगें।

अनुशासन व आचरण [भाग (च)] छात्रों को अनुशासन एवं आचरण के लिये भी पूरे 5 अंक दे दिये जाते हैं। यदि कोई छात्र अनुशासन हीनता करता है तो उसके प्राप्तांको में से कक्षा अध्यापक 1 अंक काट सकता है, और मुख्य नियन्ता 2 अंक तक काट सकता है और यदि छात्रों ने गंभीर अनुशासनहीनता की हैं तो प्रधानाचार्य पूरे प्राप्तांक भी काट सकते हैं।

(च) अनुशासन व आचरण (अंक कटौती का प्रारूप) – पूर्णांक 05 अंक लब्धांक–

दिनांक	अनुशासनहीनता का विवरण	अंक कटौती	छात्र ह0	अभिभावक ह0	कक्षाध्यापक ह0	मुख्यनियंता ह0

नियम 6 (i)– एक बार की गई अनुशासनहीनता के लिए कक्षाध्यापक को 1 अंक, मुख्य नियन्ता को 2 अंक कटौती करने का अधिकार होगा। यदि अनुशानहीनता गम्भीर प्रकृति की हो तो प्रकरण संस्तुति सहित प्रधानाचार्य के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
(ii) कक्षाध्यापक द्वारा अनुशासन व आचरण के अंक न देने पर कारणों सहित बिन्दुवार आख्या प्राप्त कराई जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

व्यक्तिगत सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य [भाग (छ)]-यदि छात्र कोई भी प्रशंसनीय कार्य करता है, तो उसे 1 से 5 तक के अंक प्रदान किये जा सकते है, लेकिन वह प्रशंसनीय कार्य कुछ अलग और कसौटी के अतिरिक्त होने चाहिए। उदाहरण के लिये, किसी छात्र द्वारा, बीमारी या अन्य किसी कारण से कोई छात्र 4-5 दिन तक विद्यालय नही आ पाया है, तो उसकी अनुपस्थिति का शिक्षण कार्य पूर्ण कराने में सहयोग करें। समुदाय या गांव के लिये कोई सराहनीय कार्य करें।

(छ) व्यक्तिगत सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य– पूर्णांक 05 अंक लब्धांक–

दिनांक	सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य का विवरण	अंक	ह.छात्र	ह.कक्षाध्याापक	ह.ज्येष्ठतम अध्यापक

नियम 7–प्रत्येक सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य के लिए कम से कम एक अंक व अधिकतम 05 अंक प्रदत्त किये जायेंगे। कार्य का मूल्यांकन कक्षाध्यापक द्वारा किया जायेगा। एक कार्य पर एक अंक से अधिक अनुदानित करने के लिए विद्यालय के ज्येष्ठतम् अध्यापक का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

माता-पिता का अभिभावक दिवस पर संपर्क [भाग (ज)]–इस भाग में भी अभिभावकों को पहले से ही 5 अंक दिये जाते हैं, जिन्हें रक्षित करने के लिये छात्र अपने अभिभावकों को विद्यालय में आने के लिये प्रेरित करते रहेंगे। अभिभावक के न आने पर प्रतिबार 1 अंक काट लिया जाता है।

(ज) माता–पिता का अभिभावक दिवस पर सम्पर्क– पूर्णांक 05 अंक लब्धांक–

सम्पर्क तिथि	सम्पर्क कर्ता का नाम एवं छात्र से सम्बन्ध	शिकायत / सुझाव / टिप्पणी	हस्ताक्षर

बोनस एवं ऋणात्मक अंक [भाग (झ)]– इस भाग में छात्रों को बोनस अंक मिलने की संभावना होती है और साथ ही ऋणात्मक अंक का भी प्रावधान है। **बोनसः** यदि कोई अन्य उपलब्धि जो ऊपर दिये गये मानकों में शामिल नहीं हो पाती है उस उपलब्धि के आधार पर बोनस अंक प्रदान किये जा सकते हैं। **ऋणात्मकः** कोई अन्य अनुशासनहीनता/कमी जो ऊपर दिये गये मानकों में शामिल नहीं हो पाती है, उस अनुशासनहीनता/कमी के अंक काटे जा सकते हैं।

(झ) बोनस/ऋणात्मक अंक (अधिकतम 5 अंक)

बोनस अंक हेतु कार्य का विवरण	अंक	ऋणात्मक अंक का कारण	अंक

नियम 9(i) प्रार्थना स्थल की गतिविधियों, कक्षानुशासन में सहयोग, राष्ट्रीय पर्वों, विशेष समारोह/ आयोजन में सहयोग/ प्रतिभाग, छात्र संसद, एन.सी.सी., स्काउट में प्रतिभाग करने पर सम्बन्धित प्रभारी/कक्षाध्यापक द्वारा बोनस अंक प्रदान किये जायेंगे।

(ii) नाम प्रथक होने अथवा छात्र की शिकायत के सम्बन्ध में नोटिस जारी होने पर कक्षाध्यापक द्वारा हर बार एक अंक ऋणात्मक किया जायेगा।

(iii) बोनस अंक अनुदानित करने पर भी प्राप्तांक 100 से अधिक न हो, यह कक्षाध्यापक द्वारा ध्यान रखा जायेगा।

कसौटी में दिये गये मापदंडो पर सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र को Student of the year का पुरस्कार दिया जाता है।

इस प्रकार अध्यापक के लिये भी एक प्रारूप तैयार किया गया है, जिसका नाम दर्पण है। इस प्रवाह में अध्यापकों का स्तर उनकी कक्षा के परिणामों पर आधारित होता है।

दर्पण

(अध्यापकों के लिए)

(सत्र 2016–17)

अध्यापक का नाम पदनाम विषय सहित नियमित/कम्प्यूटर/प्रब0व्यवस्था

कक्षाध्यापक/सहकक्षाध्यापक कक्षा रूचि [Hobby]-

(क) विद्यालय का परीक्षाफल **पूर्णांक–50** **प्राप्तांक**

कक्षा	पंजीकृत विद्यार्थी	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी	ड्राप आउट विद्यार्थी	उत्तीर्ण विद्यार्थियों का विवरण								
				प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		योग	प्रति शत	ससम्मान प्रथम श्रेणी
				सं0	प्रति0	सं0	प्रति0	सं0	प्रति0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												
2015-16 का योग												

ह0 विषयाध्यापक **ह0 गृह परीक्षा प्रभारी** **ह0 बोर्ड परीक्षा प्रभारी**

नियम–1 परीक्षाफल के कॉलम 6 के औसत प्रतिशत को 2 से भाग देने पर प्राप्त भागफल खण्ड क के प्राप्तांक होगें।

(ख) अवशेष आकस्मिक अवकाश के लिए अंकः– **पूर्णांक–04** **प्राप्तांक**

नियम–2 सत्रान्त पर अवशेष आकस्मिक अवकाशों को 1/2 से गुणा करने पर प्राप्त गुणफल खण्ड ख के अन्तर्गत प्राप्तांक होगा। इस खण्ड में अधिकतम 04 अंक ही प्रदत्त किये जायेगें।

(ग) उपस्थिति में समयपालन– **पूर्णांक–04** **प्राप्तांक**

नियम–3 पूरे सत्र में ससमय उपस्थिति 4 अंक

03 दिन बिलम्ब से आने पर अथवा जल्दी जाने पर 3 अंक

04 दिन बिलम्ब से आने पर अथवा जल्दी जाने पर 2 अंक

05 दिन बिलम्ब से आने पर अथवा जल्दी जाने पर 1 अंक

06 दिन बिलम्ब से आने पर अथवा जल्दी जाने पर 0 अंक

07 दिन बिलम्ब से आने पर अथवा जल्दी जाने पर –1 अंक

08 दिन बिलम्ब से आने पर अथवा जल्दी जाने पर –2 अंक

निरंतर बिलम्ब से आने अथवा जल्दी जाने पर घटते कम में

(घ) पाठ्यकम विभाजन एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना– **पूर्णांक 10** **प्राप्तांक**

1–शिक्षक डायरी में पाठ्यकम का विभाजन करना और विद्यार्थियों को सत्र के प्रारम्भ में नोट कराना 2 अंक

2–पाठ्यक्रम को नियत समयावधि में पूर्ण कराना — 2 अंक
3–विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं को प्रत्येक परीक्षा से पूर्व जॉचना — 2 अंक
4–शिक्षण–अधिगम किया की सफलता — 4 अंक

(ड.) कक्षा प्रबन्धन– **पूर्णांक 22** **प्राप्तांक**

1–प्रार्थना–स्थल पर खडे होने एवं कक्षा में बैठने की व्यवस्था — 2 अंक
2–छात्र उपस्थिति व शुल्क पंजिका का रख रखाव — 1 अंक
3–काष्ठोपकरण (फर्नीचर) की सुरक्षा व सुव्यवस्था — 3 अंक
4–अनुशासन व्यवस्था — 3 अंक
5–छात्र उपस्थिति का प्रतिशत प्रथम– द्वितीय– तृतीय– अन्तिम– — 4 अंक
6–बिना गणवेश छात्रों का शून्य लक्ष्य प्राप्ति दिवसों की संख्या– — 3 अंक
7–विलम्ब से आने वालों की संख्या में शून्य लक्ष्य प्राप्ति दिवसों की संख्या– — 3 अंक
8–अनुपस्थिति में शून्य लक्ष्य प्राप्ति दिवसों की संख्या– — 3 अंक

नियम–4 पूरे शिक्षण–सत्र में सम्बन्धित कक्षाध्यापक/सह–कक्षाध्यापक के नियन्त्रणाधीन कक्षा में एवम् कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा फर्नीचर को हानि न पहुॅचाने पर खण्ड ड. (3) में तथा अनुशासनहीनता न करने पर ड. (4) में पूरे–2 लब्धांक होंगे।

नियम–5 छात्र उपस्थिति 75 से 80 प्रतिशत पर 1, 85 प्रतिशत तक 2, 90 प्रतिशत तक 3 तथा 90 प्रतिशत से अधिक पर 4 लब्धांक होंगे।

नियम–6 खण्ड ड. (6), (7) एवं (8) में अलग–अलग प्रति 25 दिवसों पर 1 लब्धांक होगा। खण्ड ड. (6) एवं (7) का विवरण अनुशासन प्रभारी के रिकार्ड के अनुसार और (8) का विवरण वरिष्ठतम् प्रवक्ता के रिकार्ड के अनुसार सत्यापित माना जायेगा। अतः अपनी उपलब्धियॉ सम्बन्धित से अवश्य नोट/सत्यापन करायें।

(च) शिक्षणेत्तर कियाकलापों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने में योगदान– **पूर्णांक 6** **प्राप्तांक**

क्र0सं0	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	पंजीकरण तिथि	प्रतियोगिता का नाम	प्रतिभाग का स्तर			
					जिला	मण्डल	प्रदेश	राष्ट्रीय

नोट– यह प्रारूप शिक्षक डायरी में अंकित है। इसके अन्तर्गत कीडा, भाषण, वाद–विवाद, निबन्ध, नाटक, प्रदर्शनी, चित्रकला, लेखन, संगीत, नृत्य, सामान्य ज्ञान व अन्य प्रतियोगितायें सम्मिलित है, जिनमें प्रत्येक अध्यापक को अधिकतम 50 विद्यार्थियों को तैयार करना एवं प्रतिभाग कराना है। इस हेतु सत्र–प्रारम्भ तिथि से 45 दिन के अन्दर प्रतियोगितावार विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत कर प्रधानाचार्य से अवलोकित करा लें। ध्यान रहे कि कोई भी विद्यार्थी एक ही प्रतियोगिता में एक से अधिक अध्यापकों के पास पंजीकृत न हो। 06 से अधिक प्राप्तांक बोनस में (अन्य में) जोडे जायेंगे।

नियम–7 शिक्षणेत्तर कियाकलापों की तैयारी एवं प्रतिभाग कराने पर निम्न प्रकार अंक प्रदान किये जायेंगे।

विद्यार्थियों की सं0	प्रतिभाग का स्तर				सम्बन्धित स्तर के प्रतियोगितावार प्रतिभागियों के नाम, व कक्षा
	जिला	मण्डल	प्रदेश	राष्ट्रीय	
1–10	1	2	3	4	
11–20	2	3	4	5	
21–30	3	4	5	6	
31–40	4	5	6	7	
41–50	5	6	7	8	

(छ) अभिभावक सम्पर्क– **पूर्णांक 04** **प्राप्तांक**

(सर्वश्रेष्ठ 4 सम्पर्कों का विवरण कक्षाध्यापक/ सहकक्षाध्यापक द्वारा भरा जायेगा)

सम्पर्क तिथि	अभिभावकों की कुल संख्या	सम्पर्क करने वाले अभिभावकों की संख्या	सम्पर्क करने वाले अभिभावकों का प्रतिशत	कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर
			x x x xxxxx	
			x x x xxxxx	
			x x x xxxxx	
			x x x xxxxx	
योग				

नियम–9 उपर्युक्त सारणी के अनुसार अभिभावकों के सम्पर्क के वार्षिक प्रतिशत के आधार पर 21 से 40 प्रतिशत पर 01 अंक, 60 प्रतिशत तक 2 अंक, 80 प्रतिशत तक 3 अंक तथा 80 प्रतिशत से अधिक पर 4 अंक कक्षाध्यापक/सहकक्षाध्यापक को दिये जायेंगे।

प्राप्तांको का योग	

(ज) बोनस अंक/ऋणात्मक अंक–

बोनस अंक हेतु कार्य का विवरण	अंक	ऋणात्मक अंक का कारण	अंक
विद्यालय में शैक्षिक व भौतिक पर्यावरण को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों व देशभक्ति की भावना का विकास करने हेतु योगदान 10 अंक		यदि कोई विद्यालय समिति निष्क्रिय रहती है, तो उस समिति के संयोजक/प्रभारी का प्रति समिति 1 अंक ऋण हो जायेगा।	
विद्यालय में विलम्ब से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या शून्य होने पर अनुशासन समिति को ऐसे प्रत्येक दिन के लिये 1 अंक		समिति के संयोजक/प्रभारी का सहयोग न करने की प्रत्येक शिकायत पर शिकायत में सत्यता पाये जाने पर सम्बन्धित सदस्य का 1 अंक ऋण हो जायेगा, परन्तु प्रथम बार सम्बन्धित सदस्य को सचेत किया जायेगा।	
विद्यालय को गौरव प्रदान करने हेतु सार्थक प्रयास 5 अंक		छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता करने पर प्रति घटना कक्षाध्यापक/सह कक्षाध्यापक का 5 अंक ऋण हो जायेगा।	
विशेष योग्यता (75 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक) वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर 5 अंक		विलम्ब से आने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर कक्षाध्यापक/सह कक्षाध्यापक के प्रतिमाह प्रति 10 विद्यार्थी पर 01 अंक ऋण हो जायेगा।	
अन्य कार्य		ड्रापआउट/ एन0एस0ओ0 प्रति विद्यार्थी कक्षाध्यापक का एक अंक ऋण हो जायेगा।	
बोनस अंको का योग		**ऋणात्मक अंको का योग**	
शुद्ध बोनस अंक		**महायोग** (प्राप्तांक एवं बोनस का योग)	

नियम–10 ऋणात्मक अंक बोनस अंक से अधिक होने पर खण्ड ज में शून्य अंक दिया जायेगा। कुल बोनस अंकों मे से ऋणात्मक अंक घटाने पर वास्तविक बोनस अंक प्राप्त होगें। बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 5 अंक होगी। बोनस अंक उसी सीमा तक जोडे जायेगें जिससे प्राप्तांक 100 से अधिक न हो जाये।

नियम–11 विशेष योग्यता के अन्तर्गत परीक्षा में सम्मिलित छात्रों का 10 प्रतिशत छात्रों तक 01 अंक, 20 प्रतिशत तक 2 अंक, 30 प्रतिशत तक 3 अंक, 40 प्रतिशत तक 4 अंक तथा 40 प्रतिशत से अधिक पर 5 अंक बोनस दिये जायेगें।

विशेष– **'दर्पण'** को किसी अध्यापक के विरूद्व कार्यवाही करने अथवा कृत अनुशासनात्मक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य विद्यालय के सर्वोन्मुखी विकास के लिए प्रेरित करना है

उद्देश्य–अध्यापकों के कार्यों में नवाचार (Innovation) को प्रोत्साहित करना, उनकी प्रतिभा का छात्र हित में अनुकूलतम (Optimum) प्रयोग करना और उनके द्वारा समर्पित भाव से किये गये कार्यों को पहचान, सम्मान व पुरस्कार दिलाना।

सम्मान व पुरस्कार– सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक अध्यापक को वर्ष का **आदर्श अध्यापक,** इससे कम अंक पाने वाले दस अध्यापको को **श्रेष्ठ अध्यापक** घोषित किया जायेगा। समान अंक आने पर अधिक आयु वाले अध्यापक को ऊपर के क्रम में रखा जायेगा।

ह0 प्रधान लिपिक ह0 अध्यापक ह0 प्रधानाचार्य

इसी भांति विद्यालय का पूरा प्रवाह बनाया जा सकता है। एक स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से सम्पूर्ण कक्षा की सालभर की रिपोर्टिंग तैयार करना अपने आप में एक जटिल कार्य है, लेकिन इस पद्धति से प्रवाह के मानकों द्वारा सरल बनाया जा सकता है। वर्णित की गयी प्रवाह में विषयों की वार्षिक रिपोर्टिंग, उनके विद्यालय में क्रियाकलाप, उपस्थित एवं अन्य सभी गतिविधियों का संक्षिप्त आकलन किया जाता है। उसी प्रकार अध्यापकों के प्राप्तांको का विवरण भी दिया जा सकता है और समान समीकरण पर विद्यालय का भी वार्षिक आकलन करना सरलतापूर्वक संभव हो जाता है। उदाहरण के लिये छात्र, अध्यापक एवं विद्यालय की वार्षिक रिर्पोटिंग का प्रवाह यहां प्रस्तुत किया गया है।

प्रवाह

(विद्यालय प्रगति–पत्र 2015–16)

(क) विद्यालय का परीक्षाफल **पूर्णांक–50** **प्राप्तांक 22.25**

कक्षा	पंजीकृत विद्यार्थी	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी	ड्राप आउट विद्यार्थी	उत्तीर्ण विद्यार्थी का विवरण								
				प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		योग	प्रति	ससम्मान प्रथम श्रेणी
				सं0	प्रति0	सं0	प्रति0	सं0	प्रति0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	414	393	21	169	43.1	179	45.5	45	11.4	393	100	60
7	261	251	10	164	65.3	83	33.1	04	01.6	251	100	35
8	295	276	19	168	60.9	94	34.0	14	05.1	276	100	54
9	399	378	21	78	20.6	202	53.4	70	18.5	350	92.6	14
11	362	347	15	22	06.3	107	30.8	116	33.4	245	70.6	03
10	371	361	10	224	62.0	122	33.8	04	01.1	350	96.9	41
12	268	266	02	185	69.5	80	30.1	01	00.4	266	100	34
योग	**2370**	**2272**	**98**	**1010**	**44.5**	**867**	**38.2**	**254**	**11.2**	**2131**	**93.8**	**241**

नियम 1– कॉलम 6 में विद्यालय के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत को 2 से भाग देने पर प्राप्त भागफल खण्ड (क) का प्राप्तांक होगा।

(ख) पाठ्य–सहगामी क्रियाओं में विद्यार्थियों का प्रतिभाग **पूर्णांक 20** **प्राप्तांक 07**

प्रतियोगिता एवं कियाकलाप	सदनवार प्रतिभागियों की संख्या					उच्च स्तर पर प्रतिभागिओं की संख्या				
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	योग	संकुल	जिला	मण्डल	प्रदेश	राष्ट्रीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्रीडा	41	21	70	44	176	310	208	83	36	—
साहित्यिक	42	35	106	57	240	—	27	04	03	—
सांस्कृतिक	39	41	32	38	150	—	—	—	—	—
स्काउट	36	20	25	04	85	—	—	—	—	—
एन0सी0सी0	40	31	49	08	128	—	—	—	—	—
एन0एस0एस0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	198	148	282	151	779	310	235	87	39	—

नोट–अन्य प्रतियोगिताओं व कियाकलापों के अन्तर्गत प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ, अन्तर्कक्षा/अन्तर्सदनीय प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय पर्वों में प्रतिभाग तथा विद्यालयेत्तर संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं व कियाकलापों आदि में प्रतिभाग करना शामिल है।

नियम 2– कुल छात्रों में से पाठ्य सहगामी कियाओं में प्रतिभाग करने वाले छात्रों (खण्ड ख कॉलम 6 का योग) के प्रतिशत को 10 से भाग देने पर प्राप्त भागफल का दोगुना खण्ड ख के प्राप्तांक होंगे।

(ग) मानवीय सम्बन्धों का उपयोग **पूर्णांक 10** **प्राप्तांक 3.04**

कक्षा	अभिभावकों की संख्या (दर्पण के खण्ड छ के कॉलम 2 के अनुसार)						अभिभावक दिवसों/सम्मेलनों में उपस्थित होने वाले अभिभावकों का विवरण							
							संख्या (दर्पण के खण्ड छ के अनुसार)						प्रतिशत	सम्मेलन का माह
1	2						3						4	5
	A	B	C	D	E	योग	A	B	C	D	E	योग		
6	328	313	275	316	364	1596	182	192	123	132	130	759	47.55	
7	232	212	260	319	—	1023	167	100	64	84	—	415	40.56	
8	290	272	291	328	—	1181	122	73	79	60	—	334	28.28	
9	306	307	220	340	—	1173	40	75	34	89	—	238	20.28	
10	NA	294	235	197	—	726	NA	37	85	24	—	146	20.11	अगस्त
11	260	303	241	NA	—	804	61	77	74	NA	—	212	26.36	अक्टूबर
12	144	285	84	237	—	750	14	70	06	14	—	104	13.86	सितम्बर
योग	1560	1986	1606	1737	364	7253	586	624	465	403	130	2208	30.44	

नियम 3–कॉलम 4 के योग को 10 से भाग देने पर प्राप्त भागफल खण्ड (ग) का प्राप्तांक होगा।

(घ) छात्र उपस्थिति **पूर्णांक 10 अंक** **प्राप्तांक 8.59**

कक्षा व खण्ड	कक्षाध्यापक का नाम	सत्रान्त में उपस्थिति का विवरण		
		सत्रान्त में कुल अंकित संख्या [total enrolled]	सत्रान्त में उपस्थिति का योग [total of attendance]	उपस्थिति का प्रतिशत
6अ	श्रीमती अल्का रस्तौगी	27731	23989	86.50
6ब	श्री गिरन्द सिंह	27244	25245	92.66
6स	श्री राहुल गुप्ता	23393	19521	83.44
6द	श्री मूलचन्द कुमार	27445	20690	75.39
6ई	श्री राकेश कु0 शर्मा	30224	24199	80.06
7अ	श्री मुकेश शर्मा	21244	20367	95.87
7ब	श्री नितान्धु ठाकुर	19494	17356	89.03
7स	श्री रणजीत सिंह	23699	18778	79.23
7द	कु0 चमन अफरोज	28339	21586	76.17
8अ	श्रीमती अरूणा गोयल	26388	22844	86.56
8ब	श्री राकेश कु0 वर्मा	24965	20955	83.93
8स	श्रीमती मीना राजवंशी	24724	18105	73.22
8द	श्री निरन्जन सिंह	29715	24543	82.59
9अ	श्री संजय कु0 सिंह	33802	29675	87.79
9ब	श्री प्रेमराज सिंह	34741	30984	89.18
9स	श्री भगवान दास	25220	21054	83.48
9द	श्री आसिफ अली	38367	36544	95.24
10अ	सुश्री आभा देवी	29644	26582	89.67
10ब	श्री राधेश्याम	32564	28419	87.27
10स	श्री जगदीश शरण	25303	22539	89.07
10द	श्री मनोज कुमार	32292	29370	90.95
11अ	श्री योगेन्द्र कु0 सक्सेना	27440	23710	86.40
11ब	श्री ओमकृष्ण राव	25429	21794	85.70
11स	श्री सचिन कुमार	29272	25357	86.62
11द	श्री आलोक कुमार सिंह	38243	29749	77.78
12अ	श्री श्रीनारायण यादव	24768	22929	92.57
12ब	श्री मुकेश बाबू	30635	27190	88.75
12स	श्री धर्मपाल सिंह	14448	12993	89.92
12द	श्री प्रवेन्द्र कुमार	20126	17476	86.83
योग		796899	684543	85.90

नियम 4–सत्रान्त में सम्पूर्ण छात्र उपस्थिति प्रतिशत को 10 से भाग देने पर प्राप्त भागफल खण्ड (घ) का प्राप्तांक होगा।

(ड) बहुआयामी कार्यों का निष्पादन **पूर्णांक 10 प्राप्तांक 9.60**

(1) क्या अध्यापकों/प्रयोगशालाओं को आवश्यक सामग्री/स्टेशनरी ससमय प्राप्त हुई? हॉ 1 — 1

(2) विद्यालय में अध्यापक व कर्मचारियों की ससमय उपस्थिति का प्रतिशत कितना हैं?(95%) 1 — 0.95

(3) क्या पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाऐं सत्र में न्यूनतम 140 दिन संचालित रहीं? हॉ 1 — 1

(4) कितने प्रतिशत अध्यापकों की शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया? (95%) 1 — 0.95

(5) विद्यालय में अनुशासन का स्तर– निम्न (0)/सामान्य (0.4)/संतोषजनक (0.7)/उच्च (1)1 — 0.70

(6) क्या बोर्ड परीक्षा सकुशल सम्पन्न हुई?	हाँ	1	1
(7) क्या गृह परीक्षा सकुशल सम्पन्न हुई?	हाँ	1	1
(8) इस सत्र में किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण में प्रशंसा व सराहना की गई?	हाँ	1	1
(9) क्या छात्र प्रतिनिधियों (नायक, अनुशिक्षक एवं कक्षा प्रतिनिधि) का चुनाव/मनोनयन हुआ?	हाँ	1	1
(10) क्या विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास हेतु नियमित प्रयास किया जाता है ?	हाँ	1	1

नियम 5– खण्ड (ड) के प्रत्येक बिन्दु के लिए 1/शून्य/प्रतिशत के आधार पर अंक दिया जायेगा।

प्राप्तांकों का योग	49.88

प्रगति-पत्र 201...–201...

अनुक्रमांक 16 छात्र/छात्रा का नाम देवेन्द्र कुमार कक्षा व वर्ग 9B

परीक्षा विषय	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन						कुल योग		वार्षिक परीक्षा		कुल योग		ग्रेड
	अगस्त		अक्टूबर		दिसम्बर		पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	
	लिखित	प्रोजे./प्रयो./मौ.	लिखित	प्रोजे./प्रयो./मौ.	लिखित	प्रोजे./प्रयो./मौ.							
हिन्दी	—	10	10	—	10	—	30	30	70	59	100	89	A_2
~~संस्कृत/उर्दू/~~ अंग्रेजी	—	9	10	—	8	—	30	27	70	61	100	88	A_2
गणित/~~प्रा. गम्मित~~	5	5	5	5	5	5	30	30	70	62	100	92	A_1
विज्ञान	5	5	5	5	5	5	30	30	70	57	100	87	A_2
सामाजिक विज्ञान	5	5	5	5	5	5	30	30	70	56	100	86	A_2
~~कला~~/कम्प्यूटर ~~वाणिज्य~~	5	5	5	5	5	5	30	30	70	65	100	95	A_1
खेल									50+50	33+44	100	77	A
योग													

उत्तीर्ण ☑ प्रोन्नत ☐ अनुत्तीर्ण ☐ हस्ताक्षर कक्षाध्यापक हस्ताक्षर निरीक्षक

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर की अनुकृति एवं विद्यालय की मोहर

कसौटी (सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन) में अनुदानित लब्धांक		
क्रिया-कलाप	पूर्णांक	लब्धांक
(क) परीक्षाओं के लब्धांक (प्राप्तांक का 50 प्रतिशत)	50	44.75
(ख) क्रीड़ा प्रतियोगिताओं, के लब्धांक	10	08
(ग) साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम के लब्धांक	10	02
(घ) कक्षा में उपस्थिति के लब्धांक	10	9.80
(ङ) विद्यालय गणवेश के लब्धांक	05	05
(च) अनुशासन व आचरण के लब्धांक	05	05
(छ) व्यक्तिगत सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य के लब्धांक	05	02
(ज) अभिभावक दिवस के लब्धांक	05	03
योग	100	79.55
बोनस अंक		05
महायोग	100	84.55
कक्षा में स्थान		प्रथम

निष्कर्ष व लाभ

छात्र की प्रतिभा का विकास करने एवं उसे घर व विद्यालय में भयमुक्त व सुरुचिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिये अभिभावक व अध्यापक (परिवार व विद्यालय) के मध्य सहयोगपूर्ण व सामंजस्यपूर्ण सम्बन्धों की आवश्यकता को देखते हुए कसौटी में अभिभावक दिवस पर विद्यालय आने वाले अभिभावकों की उपस्थिति के लिये 5 अंक निर्धारित किये गये, जिसे छात्र के वार्षिक मूल्यांकन (प्रगति-पत्र) में भी अंकित किया जाता है। इससे छात्रों ने उत्साहित होकर अधिक से अधिक अपने अभिभावकों को नियत दिवस पर विद्यालय लाना प्रारम्भ किया। मुख्य बात यह है कि कतिपय निरक्षर अभिभावक जो विद्यालय आने से कतराते थे वे विद्यालय आने लगे हैं।

विद्यालय में छात्रों की मासिक परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाएं छात्रों व उनके अभिभावकों को उसी दिन दिखाया जाना, छात्र की कमजोरियों, रुचियों व विशेषताओं पर चर्चा करना, परिवार व विद्यालय द्वारा छात्र की प्रतिभा के विकास हेतु वातावरण तैयार करने में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। इसके परिणामस्वरुप छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि, विलम्ब से आने वाले छात्रों की संख्या में कमी, अनुशासन में सुधार एवं छात्रों की समस्याओं के निराकरण का मार्ग सुगम हुआ है। जैसे–

1. छात्रों के नामांकन और उपस्थिति की दर में सुधार एवं कक्षा व विद्यालय में स्वयं सीखने का वातावरण।
2. शिक्षा में अभिभावकों की अधिक भागीदारी और शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिरुचि के स्तर में सुधार। ■